न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान् ''न्याय आपके द्वार–2018''
(उपखण्ड अधिकारी) गढी
पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 155/2010

उनवान

1 गुलाबजी पिता कचरा डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
—: वादी

बनाम

1 महेश पिता रूपसी डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2 रूपसी पिता कचरा डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3 मोहन पिता रूपसी डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
4 श्रीमति चम्पा पत्नि महेश डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
5 श्रीमति रंगी पत्नि रूपसी डामोर जाति भील निवासी डोबापाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 04/6/2018

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता सख्या 74 (नया) 641 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1958 रकबा 0.20 हे0 भूमि वाके ग्राम डोबापाडा पटवार मण्डल जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। जिस पर वादी वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वाद प्रस्तुत करने के 25 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ने जबरन प्रवेश कर निर्माण सामग्री डाल दी एंव वादी की उक्त भूमि में नीव खोद दी तथा निर्माण करने का प्रयास करतें हुऐ मटेरीयल डालकर लेबर लेकर अनाधिकृत प्रवेष कर लिया है। प्रतिवादीगण जबरन वादी की भूमि हड़पने आमादा है। जिन्हे आज्ञापक आदेश स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक होने से धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर दिनांक 23.5.2017 को उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान में चिन्हित् किया जाकर प्रतिवादीगण को पुनः तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने समय चाहा गया। प्रतिवादीगण को जवाब हैतु पर्याप्त अवसर दियें जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न तो न्यायालय में उपस्थित हुऐ एंव न ही उनकी ओर से जवाब पैश हुआ। जिस पर दिनांक 19.

भूमि वादी गुलाबजी पिता कचरा डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर वादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करने के कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का जौलाना के मौजा डोबापाड़ा की खाता संख्या 74 (नया) 641 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1958 रकबा 0.20 हे0 भूमि में वादी के उपयोग एंव उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय उत्पन्न करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

(पूजा कुमारी पार्थ)
प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"
(उपखण्ड अधिकारी) गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का जौलाना के मौजा डोबापाड़ा की खाता संख्या 74 (नया) 641 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1958 रकबा 0.20 हे0 भूमि में वादी के उपयोग एंव उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय उत्पन्न करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04/6/2018 को सुनाया गया।

प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"
(उपखण्ड अधिकारी) गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 155/2010

उनवान

गुलाबजी पिता कचरा डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. महेश पिता रूपसी डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. रूपसी पिता कचरा डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. मोहन पिता रूपसी डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
4. श्रीमति चम्पा पत्नि महेश डामोंर जाति भील निवासी डोबापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
5. श्रीमति रंगी पत्नि रूपसी डामोर जाति भील निवासी डोबापाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 04/6/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश होकर हु दिया जाता हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का जौलाना के मौ डोबापाड़ा की खाता संख्या 74 (नया) 641 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1958 रकबा 0.20 हे0 भूमि में वादी उपयोग एंव उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय उत्पन्न करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत साल आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 04/6/2018 को जारी की गई।

(पूजा कुमारी पार्थ)
प्रभारी अधिकारी [illegible] अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार-2018''
(उपखण्ड अधिकारी) गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
[illegible]	शून्य	मतफरीक	शून्य